प्रेषक

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या 4592/शि0का0लख0/2016 दिनांक 21 नवम्बर 2016

विषय- पावर आफ अटार्नी तथा पावर आफ अटार्नी के माध्यम से निष्पादित अन्तरण विलेखों के सम्बन्ध में।

महोदय

अभी हाल के वर्षो में भारी संख्या में पावर आफ अटार्नी के ऐसे प्रकरण संज्ञान में आये है जिनमें दूसरे प्रदेशों के व्यक्तियों द्वारा दूसरे प्रदेशों में स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पावर आफ अटार्नी उत्तर प्रदेश के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित करा दी जाती है। क्षेत्राधिकार सृजित करने के उद्देश्य से पावर आफ अटार्नी करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित उप निबन्धक के क्षेत्राधिकार में अपना वर्तमान पता दर्शा दिया जाता है किन्तु उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रमाण नही दिया जाता है। इस प्रवृत्ति से जहां अन्य प्रदेशों, जहां सम्पत्ति स्थित है, के राजस्व की क्षति होती है वही सम्बन्धित प्रदेश में पावर आफ अटार्नी सम्बन्धी कोई अभिलेख न होने के कारण सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने है।

2- यह भी देखने में आया है कि बहुत से प्रकरणों में दूसरे शहरों, प्रदेशों तथा सम्प्रदाय आदि के सर्वथा अंजान व्यक्ति के पक्ष में पावर आफ अटार्नी कर दिया जाता है और पावर आफ अटार्नी के माध्यम से मुख्तारेआम को सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त अधिकार दे दिये जाते हैं। वस्तुतः इस प्रकार की पावर आफ अटार्नी की आड़ में सम्पत्ति का अन्तरण कर दिया जाता हैै। ऐसे मामलों में अटार्नी करने वाला पर्दे के पीछे से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेता है, जिससे काले धन के सृजन की समस्या के साथ सरकारी राजस्व की भी भारी क्षति होती है।

3- पावर आफ अटार्नी के माध्यम से हो रहे करापवंचन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21मई, 2010 को परिपत्र निर्गत किया गया था। उक्त परिपत्र के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 1839/2011 प्रेमपाल सिंह नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक07.03.2011 द्वारा उक्त परिपत्र का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया था। अंततः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.04.2015 से पूर्व में जारी स्थगनादेश को समाप्त करते हुए याचिका निरस्त कर दी गई है

4- उक्त के परिप्रेक्ष्य में पावर आफ अटार्नी के विलेखों एवं पावर आफ अटार्नी के माध्यम से निष्पादित अन्तरण विलेखों के निबन्धन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या2423-428/टी0ए0सी0-2010/9593-563 दिनांक 21 मई, 2010 को अतिक्रमित करते हुए पुनः निम्नवत् निर्देश जारी किए जाते है:-

(i) पावर आफ अटार्नी के विलेख को उप निबन्धक कार्यालय में उसी दशा में निबन्धन हेतु स्वीकार किया जायेगा जब पावर आफ अटार्नी करने वाले व्यक्ति का निवास अथवा सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में पावर आफ अटार्नी निष्पादित की जा रही है, सम्बन्धित उप निबन्धक के क्षेत्राधिकार में स्थित हो। यदि पावर आफ अटार्नी का निष्पादक उप निबन्धक के क्षेत्राधिकार में अपना निवास दर्शाता है तो उसे उस निवास से सम्बन्धित निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य साक्ष्य निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii)पावर आफ अटार्नी के माध्यम से निष्पादित अन्तरण विलेख मात्र उसी दशा में निबन्धन हेतु स्वीकार किये जायेगे जब अन्तरण विलेख में अंकित प्रतिफल की धनराशि मूल स्वामी (मुख्तारदाता) को प्राप्त हो रही हो अथवा उसके बैंक खाते में अन्तरित हो रही हो।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0/-
(अनिल कुमार)
म्हानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 4592(1-5)/शि0का0लख0/2016 दिनांक 21 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. समस्त अपर महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)/पदेन जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल में अनुरक्षित किये जाने हेतु।

ह0/-
(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ